

वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ के लिये वशिष अनुदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वशिषु देव साय ने राज्य की बड़ी जनजातीय आबादी, चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परस्थितियों और कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वशिष केंद्रीय अनुदान का अनुरोध किया था।

- यह मांग **16वें वित्त आयोग** के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान की गई।

मुख्य बडि:

- मुख्यमंत्री ने आयोग को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से किये जा रहे विकास कार्यों और माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये उठाए जा रहे प्रभावी कदमों की जानकारी दी।
 - 'नयिद नेल्लानार योजना' के तहत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत् और जल जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
 - हालाँकि इन क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परस्थितियों के कारण बुनियादी ढाँचे के विकास पर अतिरिक्त व्यय होता है।
- खनजि समृद्ध राज्य में खनन गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये अतिरिक्त व्यय किया गया।
 - उपभोग आधारित गंतव्य कर प्रणाली के रूप में **GST (वस्तु एवं सेवा कर)** के कारण, खनन गतिविधियों का वास्तविक लाभ छत्तीसगढ़ के बजाय उन राज्यों को मिल रहा है जहाँ खनजि मूल्य संवर्द्धन और खपत होती है।

नयिद नेल्लानार योजना

- नयिद नेल्लानार, जिसका अर्थ है "आपका अच्छा गाँव" अथवा "योर गुड वल्लिज" स्थानीय दंडामी बोली (दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली) है।
- इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गाँवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान किये जाएंगे।
 - बस्तर में 14 नये सुरक्षा कैंप स्थापित किये गए हैं। ये शिविर नई योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता करेंगे। नयिद नेल्लानार के तहत ऐसे गाँवों में लगभग 25 बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

वित्त आयोग

- भारत में वित्त आयोग **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280** के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
 - इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सफारिश करना है।
- **15वें वित्त आयोग** का गठन **27 नवंबर, 2017** को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्टों के माध्यम से **1 अप्रैल, 2020** से शुरू होने वाली छह वर्षों की अवधि को कवर करने वाली सफारिशें कीं।
 - 15वें वित्त आयोग की सफारिशें वित्तीय वर्ष **2025-26** तक मान्य हैं।